



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार, 08 मई, 2025 / 18 वैशाख, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 05 मई, 2025

सं०: पी०डब्ल्यू०डी०-(बी०)-एफ०(5)/28/2025-271042.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव होलग,

तहसील रामशहर, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में जाबल-जयनगर वाया उखू सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप-धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत: अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, (शिमला क्षेत्र), लोक निर्माण विभाग, जिला शिमला (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नं0	रकबा (बीघा में)
सोलन	रामशहर	होलग	43	02-01-00
			57	02-06-00
			69	02-04-00
			100	06-05-00
			101	00-14-00
			104	02-05-00
			108	03-06-00
			119	00-14-00
			126	00-15-00
			129	01-03-00
			136	00-02-00
			199	00-04-00
			206	01-09-00
			252	02-03-00
			117	00-08-00
			कित्ता-15	25-19-00

आदेश द्वारा,
सचिव (लोक निर्माण)।

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 06 मई, 2025

सं०: पी०डब्ल्यू०डी०-(बी०)-एफ०(5)/27/2025-270697.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव असलू, तहसील/उप-तहसील दाड़लाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में कंसवाला-पारनू-कैच्ची मोड़ सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप-धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता (शिमला क्षेत्र), लोक निर्माण विभाग, जिला शिमला (हि० प्र०) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

5. यह अधिसूचना माननीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश द्वारा LPA No. 242/2023 in CWP No. 2464/2021-State of H.P. & Ors vs. Hari Ram में जारी आदेश उपरान्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दर्ज विशेष अनुमति याचिका (SLP) के अंतर्गत अन्तिम आदेशानुसार प्रभावी मानी जाएगी।

विवरणी

जिला	तहसील/उप-तहसील	गांव	खसरा नं०	रकबा (बीघा में)
सोलन	दाड़लाघाट	असलू	309	00-01-89
			347 / 1	00-00-58
			348 / 1	00-03-52
कुल जोड़			कित्ता-03	00-03-99

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित / -
सचिव (लोक निर्माण)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, एवं नायब तहसीलदार, आलमपुर,
जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

मुकद्दमा नम्बर : 43 / N / 2025

तारीख पेशी : 04-06-2025

कुसुम राणा पुत्री श्री मखोली राम, निवासी महाल टिक्कर जीहण, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) . . . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता महाल टिक्कर जीहण, तहसील जयसिंहपुर

प्रतिवादी।

विषय.— भू-राजस्व अभिलेख स्थित महाल टिक्कर जीहण, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में नाम सम्बन्धित अन्य राजस्व अभिलेख में हिमाचल प्रदेश लैंड रेवन्यू एक्ट 1954 धारा 38(अ) के तहत नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में कुसुम राणा पुत्री श्री मखोली राम, निवासी महाल टिक्कर जीहण, उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं हाजिर होकर अपने नाम की दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका सही नाम कुसुम राणा है, परन्तु महाल टिक्कर जीहण के राजस्व रिकार्ड में उसका नाम ज्योति देवी गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थिया महाल हजा में अपने नाम की दुरुस्ती करवाना चाहती है।

अतः इस मुश्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को महाल टिक्कर जीहण के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया का नाम ज्योति देवी के बजाये ज्योति देवी उपनाम कुसुम राणा किए जाने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह इस दिनांक 04-06-2025 को इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में किसी भी किस्म का कोई उजर व एतराज बाद गुजरने मियाद नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 21-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 04-06-2025

राम कृष्ण पुत्र श्री ब्रहमू राम, निवासी गांव धारब्रहमपूरी व डाकघर आलमपुर एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता गांव धारब्रहमपूरी, डाकघर आलमपुर एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

मुश्त्री मुनादी आम जनता वासी गांव धारब्रहमपूरी, डाकघर आलमपुर एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में राम कृष्ण पुत्र श्री ब्रहमू राम, निवासी गांव धारब्रहमपूरी व डाकघर आलमपुर एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका जन्म दिनांक 13-03-1953 को गांव धारब्रहमपूरी, डाकघर आलमपुर, उप-तहसील आलमपुर में हुआ है, लेकिन वह अन्नभिज्ञता के कारण इस का इन्द्राज ग्राम पंचायत जगरूप नगर में दर्ज नहीं करवा सके हैं। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी राम कृष्ण पुत्र श्री ब्रहमू राम के जन्म दिनांक 13-03-1953 को ग्राम पंचायत जगरूप नगर में पंजीकरण

करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु वह इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी 04-06-2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है। अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 22-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, आलमपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 04-06-2025

वीना देवी पुत्री श्री रणिया, निवासी गांव धनियारा व डाकघर डूहक एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता मोहाल टीहणा झमैंतर एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

मुस्त्री मुनादी आम जनता निवासी मोहाल टीहणा झमैंतर एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में वीना देवी पुत्री श्री रणिया, निवासी गांव धनियारा व डाकघर डूहक एवं उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका सही नाम वीना देवी है, परन्तु महाल टीहणा झमैंतर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया का नाम दीनो देवी है, जोकि गलत है। जबकि प्रार्थिया का नाम अन्य दस्तावेजों पर वीना देवी अंकित है। प्रार्थिया महाल टीहणा झमैंतर व उप-तहसील आलमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के राजस्व रिकार्ड में अपने नाम की दुरुस्ती करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया का नाम वीना देवी उपनाम दीनो देवी करने में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह अपना पक्ष रखने हेतु वह इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु निर्धारित तिथि पेशी 04-06-2025 को प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी कर सकता है। अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 22-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
आलमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**In the Court of Sh. Kartar Chand, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate
Shahpur, Distt. Kangra (H.P.)**

1. Shri Bablu s/o Sh. Chatter Singh, r/o Vill. Ward No. 1, Hathor, P.O. Rirkamar, Sub-Tehsil Darini, Distt. Kangra (H.P.).

2. Smt. Pushpa Devi w/o Lt. Sh. Sanjay Kumar, r/o Village Bhanota, P.O. Goli, Tehsil Dalhousie, District Chamba (H.P.) . . *Applicants.*

Versus

1. General Public.

2. Local Registrar, Gram Panchayat Darini.

. . *Respondents.*

Subject.—Application for the Marriage Registration u/s 16 of special Marriage Act, 1954.

Applicants Shri Bablu s/o Chatter Singh, r/o Vill. Ward No. 1, Hathor, P.O. Rirkamar, Sub-Tehsil Darini, Distt. Kangra (H.P.) and Smt. Pushpa Devi w/o Lt. Sh. Sanjay Kumar, r/o Village Bhanota, P.O. Goli, Tehsil Dalhousie, District Chamba (H.P.) has filled an application for registration of their Marriage Act, 1954 alongwith declaration in which they have stated that they have solemnized their marriage on 06-04-2025 at Shri Mata Mansa Devi Mandir (Chamunda Mandir) Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.) as per Hindu rites & customs.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file an objection personally or in writing before this court on or before 28-05-2025. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Seal.

Sd/-
(KARTAR CHAND),
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Shahpur, Distt. Kangra (H.P.).*

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 :

Sh. Shyam Singh Thapa s/o Shri Kishan Bahadur Thapa, r/o Village Shyamnagar, P.O. & Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Sh. Shyam Singh Thapa s/o Shri Kishan Bahadur Thapa, r/o Village Shyamnagar, P.O. & Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है

कि उसकी self Shyam Singh Thapa s/o Kishan Bahadur Thapa का जन्म दिनांक 11-01-1979 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म/मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा/मुश्री मुनादी के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त Shyam Singh Thapa के जन्म/मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 16-05-2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म/मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार जयसिंहपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मुकद्दमा नं0 : 13/तह/2025

तारीख पेशी : 23-05-2025

1. श्री मनजीत सिंह पुत्र श्री मुन्शी राम, गांव व डाकघर हारसी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
2. नेहा पुत्री अशोक कुमार, हाउस नं0 243, ब्लॉक ए-2, नन्द नगरी सीमापुरी, उत्तर-पूर्वी, दिल्ली पिन कोड नं0 110 093. प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता ग्राम पंचायत हारसी

प्रतिवादीगण।

विषय.— प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) शादी पंजीकरण अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत पंजीकरण करने बारे।

मुश्री मुनादी बनाम आम जनता।

प्रार्थीगण श्री मनजीत सिंह पुत्र श्री मुन्शी राम, गांव व डाकघर हारसी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) व नेहा पुत्री अशोक कुमार, हाउस नं0 243, ब्लॉक ए-2, नन्द नगरी सीमापुरी, उत्तर-पूर्वी, दिल्ली पिन कोड नं0 110 093 हाल पत्नी मनजीत सिंह पुत्र श्री मुन्शी राम, गांव व डाकघर हारसी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र ब्यान हल्फिया व अन्य दस्तावेजों सहित इस आशय से गुजारा है कि हमारी शादी दिनांक 16-03-2015 को आर्य समाज वैदिक शंकर ट्रस्ट 8, एफ0एफ0 राजिन्द्रा मार्केट तीसहजारी, दिल्ली-110 054, दिनांक 16-03-2015 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुई थी। लेकिन अन्नभिज्ञता के कारण इस शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत हारसी में दर्ज नहीं करवा सके हैं जिसे प्रार्थीगण अब पंजीकृत करवाना चाहते हैं।

अतः इस मुश्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थीगणों की शादी के पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर या एतराज दिनांक 23-05-2025 को इस अदालत में पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में किसी भी किस्म का कोई उजर व एतराज नहीं सुना जायेगा व पंजीकरण के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 21-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार जयसिंहपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मुकद्दमा नं0 : 12/तह/2025

तारीख पेशी : 23-05-2025

1. श्री सतीश कुमार डोगरा पुत्र श्री कृष्ण सिंह डोगरा, गांव व डाकघर नाहलना, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

2. मनदीप कौर पुत्री जसवन्त सिंह, गांव मैहता रोड़, फतेहपुर, राजपूतान अमृतसर, पंजाब, पिन कोड-143 113 प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता ग्राम पंचायत नाहलना

प्रतिवादीगण।

विषय.— प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) शादी पंजीकरण अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत पंजीकरण करने बारे।

मुश्री मुनादी बनाम आम जनता।

प्रार्थीगण श्री सतीश कुमार डोगरा पुत्र श्री कृष्ण सिंह डोगरा, गांव व डाकघर नाहलना, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) व मनदीप कौर पुत्री जसवन्त सिंह, गांव मैहता रोड़, फतेहपुर, राजपूतान अमृतसर, पंजाब, पिन कोड-143 113 हाल पत्नी सतीश कुमार डोगरा पुत्र श्री कृष्ण सिंह डोगरा, गांव व डाकघर नाहलना, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र ब्यान हल्फिया व अन्य दस्तावेजों सहित इस आशय से गुजारा है कि हमारी शादी दिनांक 04-12-2006 को गांव व डाकघर नाहलना, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुई थी। लेकिन अन्नभिज्ञता के कारण इस शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत नाहलना में दर्ज नहीं करवा सके हैं जिसे प्रार्थीगण अब पंजीकृत करवाना चाहते हैं।

अतः इस मुश्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थीगणों की शादी के पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर या एतराज दिनांक 23-05-2025 को इस अदालत में पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में किसी भी किस्म का कोई उजर व एतराज नहीं सुना जायेगा व पंजीकरण के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 07-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकदमा संख्या : 06/C/2025

किस्म मुकदमा : दुरुस्ती इन्द्राज

श्री टेक सिंह पुत्र राम सिंह, निवासी पटेल नगर, मौजा बरबालखड व उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

श्री टेक सिंह पुत्र राम सिंह, निवासी पटेल नगर, मौजा बरबालखड व उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका नाम उसके आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड आदि में सही नाम टेक सिंह दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल दरगोड, मंझोटी, पटवार वृत्त पटेलनगर, महाल सम्लेतर, राजनगर, पटवार वृत्त कुडंग व पटवार वृत्त बरआलखड, महाल कोठी, तेन में, इंतकाल तस्दीक करते समय उसका नाम टेक चन्द है, जोकि गलत है। अतः आवेदक अपना नाम राजस्व अभिलेखों में उपरोक्त पटवार वृत्तों के महालों में टेक सिंह दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24-05-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 23-04-2025 को अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकदमा संख्या : 05/C/2025

किस्म मुकदमा : दुरुस्ती इन्द्राज

श्री विशाल राणा पुत्र श्री बिक्रम सिंह, निवासी भुन्खेड, मौजा व उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

श्री विशाल राणा पुत्र बिक्रम सिंह, निवासी भुन्खेड, मौजा व उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका नाम उसके आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड आदि में सही नाम विशाल राणा दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल भुन्खेड में इंतकाल तस्दीक करते समय उसका नाम विशाल दर्ज है, जोकि गलत है। अतः आवेदक अपना नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त जानसपनेरा के महाल भुन्खेड में विशाल राणा दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इशतहार/मुश्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24-05-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 23-04-2025 को अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकदमा संख्या : 02/C/2025

किस्म मुकदमा : दुरुस्ती इन्द्राज

श्रीमती पार्वती कुमारी पत्नी श्री भगत सिंह, निवासी गांव पटेल नगर, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

श्रीमती पार्वती कुमारी पत्नी श्री भगत सिंह, निवासी गांव पटेल नगर, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसके पति का नाम उसके आधार कार्ड, परिवार नकल ECHS कार्ड आदि में सही नाम भगत सिंह दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल धरगोड़, पटेल नगर, राजनगर, समलेतर, कोठी व खोड़ी में इंतकाल तस्दीक करते समय उसका नाम मगत दर्ज है, जोकि गलत है। अतः आवेदिका अपने पति के नाम की दुरुस्ती राजस्व अभिलेख उपरोक्त महालों में श्री भगत सिंह दर्ज करवाना चाहती है।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इशतहार/मुश्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24-05-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 23-04-2025 को अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकदमा संख्या : 02/C/2025

किस्म मुकदमा : दुरुस्ती इन्द्राज

श्रीमती गुड्डी देवी पुत्री श्री भगत सिंह, निवासी गांव पटेल नगर, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

श्रीमती गुड्डी देवी पुत्री श्री भगत सिंह, निवासी गांव पटेल नगर, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका नाम उसके आधार कार्ड, परिवार नकल, वोटर कार्ड, पेन कार्ड आदि में सही नाम गुड्डी देवी दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल व पटवार वृत्त पटेल नगर, पटवार वृत्त कुडंग में, महाल समलेतर, राजनगर व पटवार वृत्त वरबालखड में महाल कोठी, खोली में इंतकाल तस्दीक करते समय उसका नाम सरला दर्ज है, जोकि गलत है। अतः आवेदिका अपना नाम राजस्व अभिलेख महाल पटेल नगर में गुड्डी देवी दर्ज करवाना चाहती है।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इशतहार/मुश्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24-05-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 23-04-2025 को अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री अक्षित शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या :

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती इन्द्राज

अनुपमा पत्नी विधवा श्री बिक्रम सिंह, निवासी भुन्खेड, डाकघर भुलाणा, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरा नाम आधार कार्ड, विद्यालय प्रमाण-पत्र आदि में सही नाम अनुपमा दर्ज है, परन्तु राजस्व अभिलेख महाल भुन्खेड में इन्तकाल तस्दीक करते समय मेरा नाम अनु दर्ज है जोकि गलत है। आवेदिका अपना नाम राजस्व अभिलेख महाल भुन्खेड में सही नाम अनुपमा पत्नी विधवा श्री बिक्रम सिंह, निवासी गांव भुन्खेड, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) दर्ज करवाना चाहती है।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

अनुपमा पत्नी विधवा श्री बिक्रम सिंह, निवासी भुन्खेड, डाकघर भुलाणा, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरा नाम आधार कार्ड, विद्यालय प्रमाण-पत्र आदि में सही नाम अनुपमा दर्ज है, परन्तु राजस्व अभिलेख महाल भुन्खेड में इन्तकाल तस्दीक करते समय मेरा नाम अनु दर्ज है जोकि गलत है। आवेदिका अपना नाम राजस्व अभिलेख महाल भुन्खेड में सही नाम अनुपमा पत्नी विधवा श्री बिक्रम सिंह, निवासी गांव भुन्खेड, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) दर्ज करवाना चाहती है।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इशतहार/मुश्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24-05-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 23-04-2025 को अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
(अक्षित शर्मा),
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 08/C/2025

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती इन्द्राज

श्री टेक सिंह पुत्र राम सिंह, निवासी पटेल नगर, मौजा बरबालखड व उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

श्री टेक सिंह पुत्र राम सिंह, निवासी पटेल नगर, मौजा बरबालखड व उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसके पिता का नाम उसके आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, सर्विस रिकार्ड व राशन कार्ड आदि में सही नाम राम सिंह दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल दरगोड, मंझोटी, पटेलनगर, महाल सम्लेतर, राजनगर, बरबालखड, कोठी, तेन में इन्तकाल तस्दीक करते समय उसका नाम सिंघ है, जोकि गलत है। अतः आवेदक अपना नाम राजस्व अभिलेखों में उपरोक्त पटवार वृत्तों के महालों में राम सिंह दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24-05-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 23-04-2025 को अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 06/BDR/2025

किस्म मुकद्दमा : जन्म/मृत्यु पंजीकरण

श्रीमती आशा देवी पत्नी संसार चंद, निवासी महाल मंद्रेरा, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

श्रीमती आशा देवी पत्नी संसार चंद, निवासी महाल मंद्रेरा, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका जन्म दिनांक 11-06-1961 को महाल छम्ब उप-तहसील चढ़ियार में हुआ था। परन्तु अज्ञानतावश उस समय ग्राम पंचायत कोठी में इसका पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है व अनुरोध किया कि इसका पंजीकरण स्थानीय पंचायत में करवाया जावे।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इशतहार/मुश्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24-05-2025 को पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे, उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले गौर न होगा।

आज दिनांक 23-04-2025 को अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं० : NT/25

Sh. Arjun Singh s/o Kamal, r/o V.P.O. Sidhpur, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम
आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Sh. Arjun Singh s/o Kamal, r/o V.P.O. Sidhpur, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरी पुत्री का जन्म तिथि 13-02-2021 को हुआ है, परन्तु एम0सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत/नगर निगम में जन्म पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी Riya d/o Arjun Singh पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 27-05-2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म 13-02-2021 तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 23-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : NT/25

Smt. Bimla Devi w/o Prem Tamang, r/o V.P.O. Sidhpur, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Smt. Bimla Devi w/o Prem Tamang, r/o V.P.O. Sidhpur, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरे पुत्र का जन्म 12-10-2011 को हुआ है, परन्तु एम0सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत/नगर निगम में जन्म पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Prashant Tamang s/o Bimla Devi पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 27-05-2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म 12-10-2011 तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 23-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0)

ज्ञान चन्द पुत्र स्व0 श्री कलजंग नीमा, गांव केलद, डा0 कोलोंग, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पीति, हि0 प्र0 . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. प्रत्यार्थी।

विषय.—राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती करने बारे।

ज्ञान चन्द पुत्र स्व0 श्री कलजंग नीमा, गांव केलद, डा0 कोलोंग, तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पीति, हि0 प्र0 ने एक आवेदन शपथ पत्र सहित बराए नाम दुरुस्ती इस अदालत में प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि मेरा नाम पंचायत परिवार रजिस्टर में टशी ज्ञालछन उर्फ ज्ञान चन्द दर्ज है व पेंशन के कागज, पेन कार्ड, आधार कार्ड में ज्ञान चन्द दर्ज है, लेकिन राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त कोलोंग, के मोहाल केलद में टशी ज्ञालछन दर्ज है। अतः प्रार्थी भू-राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त कोलोंग, मोहाल केलद में अपना नाम टशी ज्ञालछन पुत्र कलजंग नीमा के स्थान पर टशी ज्ञालछन उर्फ ज्ञान चन्द पुत्र कलजंग नीमा दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को प्रार्थी के नाम को भू-राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त कोलोंग, मोहाल केलद में दुरुस्त करके टशी ज़ालछन पुत्र कलजंग नीमा के स्थान पर टशी ज़ालछन उर्फ ज्ञान चन्द पुत्र कलजंग नीमा दर्ज करने में कोई उजर व एतराज हो तो वह इस अदालत में दिनांक 25-05-2025 तक असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा मुताबिक दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी के नाम को भू-राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त कोलोंग, मोहाल केलद में दुरुस्त करके टशी ज़ालछन पुत्र कलजंग नीमा के स्थान पर टशी ज़ालछन उर्फ ज्ञान चन्द पुत्र कलजंग नीमा दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 25-04-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील लाहौल, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0 प्र0)।

समक्ष श्री नवीन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 03 / 2025

तारीख पेशी : 14-05-2025

श्री कल्याण सिंह पुत्र श्री नेत्र सिंह, निवासी गांव संगड़ाह, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री कल्याण सिंह पुत्र श्री नेत्र सिंह, निवासी गांव संगड़ाह, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके दादा (Grand Father) स्व0 श्री बस्ती राम पुत्र श्री राय सिंह की मृत्यु तिथि 18-12-2001 है, जोकि ग्राम पंचायत संगड़ाह के रिकार्ड में दर्ज नहीं है, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 14-05-2025 को प्रातः 10.00 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबिलेगौर न होगा तथा प्रार्थी के दादा बस्ती राम पुत्र श्री राय सिंह की मृत्यु तिथि 18-12-2001 को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 04-04-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -
(नवीन कुमार),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्रीमती निशा आजाद, कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, कमरऊ,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 13/2025

दायर तिथि : 17-04-2025

रंगीराम पुत्र श्री मनिया, निवासी ग्राम जुईनल, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी रंगीराम पुत्र श्री मनिया, निवासी ग्राम जुईनल, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) का एक आवेदन-पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन के कार्यालय पत्र संख्या: एच0एफ0डब्ल्यू0-एन0/एस0टी0/बी0 एण्ड डी0/डिलेय केसिस/2025-664, दिनांक 10-04-2025 के द्वारा अनुलग्नों सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका नाम रंगीराम पुत्र श्री मनिया राम एवं जन्म तिथि 01-07-1965 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थी अपना नाम व जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत शावगा के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 19-05-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उज्जर/एतराज दर्ज करवा सकता है निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र रंगीराम पुत्र श्री मनिया, निवासी ग्राम जुईनल, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 17-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी,
तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

समक्ष श्री जय सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, ददाहू,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 7/13(3) of 2025

तारीख मजरुआ : 09-04-2025

तारीख पेशी : 20-05-2025

प्रार्थिया श्रीमती माया देवी पुत्री श्री अमर सिंह, निवासी खुड द्रविल, डाकघर जरग, तहसील ददाहू,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त बराये जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 जेरे धारा 13(3).

प्रार्थिया श्रीमती माया देवी पुत्री श्री अमर सिंह, निवासी खुड द्रविल, डाकघर जरग, तहसील ददाहू ने अदालत हजा में एक दरखास्त गुजार कर दावा किया है कि वह अपनी जन्म तिथि 12-05-1991 को ग्राम पंचायत खुड द्रविल में दर्ज करवाना चाहती है। प्रार्थिया का जन्म मिति 12-05-1991 को ग्राम पंचायत खुड द्रविल में हुआ था, लेकिन वह किसी कारण (लापरवाही) से आज तक अपना जन्म ग्राम पंचायत खुड द्रविल में दर्ज नहीं करवा सकी। जिसे नियमानुसार दर्ज किया जाना उचित व आवश्यक है।

जन्म दर्ज मौजूदा मामले में प्रार्थी के उपरोक्त दावों के संदर्भ में प्रार्थिया के सभी सगे-सम्बन्धियों एवं आम जनता को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त दुरुस्ती मामले में किसी भी प्रकार की आपत्ति व एतराज दर्ज करने बारे दिनांक 20-05-2025 को कार्यवारी दण्डाधिकारी ददाहू के समक्ष असालतन या वकालतन पेश होंवे। अन्यथा मामले में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 22-04-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
(जय सिंह ठाकुर)
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

समक्ष श्री जय सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, ददाहू,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 8/13(3) of 2025

तारीख मजरुआ : 09-04-2025

तारीख पेशी : 20-05-2025

प्रार्थी श्री विजय पुत्र श्री हीरा, निवासी घजला, डाकघर जामु कोटि, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त बराये जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 जेरे धारा 13(3).

प्रार्थी श्री विजय पुत्र श्री हीरा, निवासी घजला, डाकघर जामु कोटि, तहसील ददाहू ने अदालत हजा में एक दरखास्त गुजार कर दावा किया है कि प्रार्थी अपनी जन्म तिथि 06-07-1991 को ग्राम पंचायत जामु कोटि में दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी का जन्म मिति 06-07-1991 को ग्राम पंचायत जामु कोटि में हुआ था, लेकिन वह किसी कारण (लापरवाही) से आज तक अपना जन्म ग्राम पंचायत खुड द्रविल में दर्ज नहीं करवा सके। जिसे नियमानुसार दर्ज किया जाना उचित व आवश्यक है।

जन्म दर्ज मौजूदा मामले में प्रार्थी के उपरोक्त दावों के संदर्भ में प्रार्थी के सभी सगे-सम्बन्धियों एवं आम जनता को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त दुरुस्ती मामले में किसी भी प्रकार की आपत्ति व एतराज दर्ज करने बारे दिनांक 20-05-2025 को कार्यवारी दण्डाधिकारी ददाहू के समक्ष असालतन या वकालतन पेश होंवे। अन्यथा मामले में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 22-04-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
(जय सिंह ठाकुर)
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : /2025

दायर तिथि :

श्री मुन्नीर हुसैन पुत्र लियाकत अली, निवासी सिंघपुरा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री मुन्नीर हुसैन पुत्र लियाकत अली, निवासी सिंघपुरा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र-संख्या एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय केसिस/2024-12415, दिनांक 24-02-2025 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री जिसका नाम अनाया मलिक है, की जन्म तिथि 05-09-2021 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत गुरुवाला सिंघपुरा के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-05-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी दिन कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में अनाया मलिक पुत्री मुन्नीर हुसैन, निवासी गुरुवाला सिंघपुरा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : /2025

दायर तिथि :

श्रीमती चिन्ता देवी पुत्री श्री गंगूराम, निवासी छछेती, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया श्रीमती चिन्ता देवी पुत्री श्री गंगूराम, निवासी छछेती, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र संख्या एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय केसिस/2024-13882, दिनांक 27-03-2025 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना की है, कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 25-03-1970 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थिया की जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत छछेती के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 25-05-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी दिन कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्रीमती चिन्ता देवी पुत्री गंगूराम, निवासी छछेती, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांकको मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भू-व्यवस्था वृत्त नारग, उप-तहसील नारग,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)**

श्री नन्दलाल पुत्र रती राम पुत्र बरडू, निवासी उप-सम्पदा ओंजी सम्पदा मोहर, डाकघर व उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री नन्दलाल पुत्र रती राम पुत्र बरडू, निवासी उप-सम्पदा ओंजी सम्पदा मोहर, डाकघर व उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में नाम दुरुस्ती बारे दावा मिसल नम्बर 2/2025 ऑफ 2025, दिनांक 27-03-2025 दायर किया है कि उसके पिता रतीया पुत्र बरडू का नाम राजस्व अभिलेख में खाता/खतौनी नम्बर 2/8.12/29 में मुश्तरका तौर पर दर्ज राजस्व अभिलेख है। उपरोक्त खाताजात राजस्व अभिलेख में श्री नन्द लाल पुत्र रतीया पुत्र बरडू दर्ज राजस्व अभिलेख जमाबन्दी वर्ष 2013-2014 है। नन्द लाल के पिता श्री रतीय पुत्र बरडू पुत्र सिधू बराये इन्तकाल नम्बर 159 अताये हक मलकीयत तारीक फैसला 03-05-1976 व इन्तकाल नम्बर 235 बरास्त रतीय मालिक गैर मौरूसी तारीख फैसला दिनांक 11-02-1992 दर्ज राजस्व अभिलेख है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार मुनादी हिमाचल प्रदेश राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री नन्द लाल पुत्र रती राम पुत्र बरडू के नाम पर यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त इन्द्राज दुरुस्ती नाम बारा कागजात राजस्व अभिलेख में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह निर्धारित तिथि दिनांक 27-05-2025 तक इस न्यायालय में प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति या एतराज प्रस्तुत करें।

आज दिनांक 23-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

(जय पाल)

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भू-व्यवस्था वृत्त नारग, उप-तहसील नारग,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

समक्ष कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 05/2025

तारीख पेशी : 03-06-2025

श्रीमती सत्या देवी पुत्री श्री लायक राम, निवासी गांव डाहार, डाकघर व पंचायत संगड़ाह, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमती सत्या देवी पुत्री श्री लायक राम, निवासी गांव डाहार, डाकघर व पंचायत संगड़ाह, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी जन्म तिथि 01-07-1979 है, जोकि ग्राम पंचायत संगड़ाह के रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 03-06-2025 को प्रातः 10.00 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबिलेगौर न होगा तथा प्रार्थिया की जन्म तिथि 01-07-1979 दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 22-04-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

समक्ष कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 04/2025

तारीख पेशी : 03-06-2025

श्री लक्ष्मी सिंह पुत्र देवी राम, निवासी गांव व डाकघर सियूं, पंचायत संगड़ाह, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने बारे प्रार्थना—पत्र।

उपरोक्त प्रार्थना—पत्र श्री लक्ष्मी सिंह पुत्र देवी राम, निवासी गांव व डाकघर सियूं, पंचायत संगड़ाह, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके रिश्ते की बहन स्व0 श्रीमती सौंकी देवी पत्नी स्व0 श्री मातू की मृत्यु की तिथि 07—06—1998 है, जोकि ग्राम पंचायत संगड़ाह के रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 03—06—2025 को प्रातः 10.00 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबिलेगौर न होगा तथा प्रार्थी के रिश्ते की बहन श्रीमती सौंकी देवी पत्नी स्व0 श्री मातू की मृत्यु तिथि 07—06—1998 दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 22—04—2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

समक्ष श्री नवीन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 06/2025

तारीख पेशी : 03—06—2025

श्री बलदेव सिंह पुत्र हिरा सिंह, निवासी गांव टूहेरी, डाकघर व पंचायत सैंज, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने बारे प्रार्थना—पत्र।

उपरोक्त प्रार्थना—पत्र श्री बलदेव सिंह पुत्र हिरा सिंह, निवासी गांव टूहेरी, डाकघर व पंचायत सैंज, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री सुश्री सुशीला देवी की जन्म तिथि 10—08—2009 है, जोकि ग्राम पंचायत सैंज के रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 03—06—2025 को प्रातः

10.00 बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबिलेगौर न होगा तथा प्रार्थी की पुत्री सुश्री सुशीला देवी की जन्म तिथि 10-08-2009 को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 26-04-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
(नवीन कुमार),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री मदन सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी कटोरड़, डाकघर बनेठी, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादीगण।

आवेदन—पत्र बाबत नाम दुरुस्ती मोहाल कटोरड़, पटवार वृत्त बनेठी नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

प्रार्थी श्री मदन सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी कटोरड़, डाकघर बनेठी, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में दरखास्त पेश की है कि राजस्व कागजात रिकार्ड मोहाल कटोरड़, नाहन, तहसील नाहन में उनका नाम काकू पुत्र श्री अमर सिंह पुत्र श्री मन्शाराम दर्ज है, जबकि उनका सही नाम मदन सिंह पुत्र श्री अमर सिंह पुत्र श्री मन्शाराम है। प्रार्थी द्वारा संलग्न सभी दस्तावेजों में भी उनका नाम मदन सिंह पुत्र श्री अमर सिंह दर्ज है। जिसे वह राजस्व रिकार्ड मोहाल कटोरड़ में सही दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम काकू पुत्र श्री अमर सिंह पुत्र श्री मन्शाराम के स्थान पर मदन सिंह पुत्र श्री अमर सिंह पुत्र श्री मन्शाराम दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 26-05-2025 को प्रातः 10.00 बजे तक इस अदालत हजा में असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उसके बाद किसी का कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 25-05-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी तहसीलदार,
नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत जनाब कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)

केस नं0 :	किस्म मुकद्दमा:	तारीख दायर:	तारीख पेशी:
09/B & D/T/U/2025	जन्म पंजीकरण	19-05-2022	24-05-2025

1. श्रीमती पिकी पत्नी मदन यादव, वासी सुरजगड वंशीपुर मैदनी चौकी, तहसील व जिला लखीसराये, हाल वासी मलाहत, तहसील व जिला ऊना, हि0प्र0 प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

“इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्री मुनादी व चस्पानगी”।

विषय.—प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण श्रीमती पिकी पत्नी मदन यादव, वासी सुरजगड वंशीपुर, मैदनी चौकी, तहसील व जिला लखीसराये, हाल वासी मलाहत, तहसील व जिला ऊना, हि0प्र0 जाने आदेश रजिस्ट्रेशन जन्म पंजीकरण वन्दनी जन्म तिथि 21-07-2019 पुत्री पिकी पत्नी मदन यादव।

प्रार्थना-पत्र प्रार्थिया श्रीमती पिकी पत्नी मदन यादव, वासी सुरजगड वंशीपुर, मैदनी चौकी, तहसील व जिला लखीसराये, हाल वासी मलाहत, तहसील व जिला ऊना, हि0प्र0 बाबत दिए जाने आदेश रजिस्ट्रेशन जन्म पंजीकरण वन्दनी जन्म तिथि 21-07-2019 पुत्री पिकी पत्नी मदन यादव ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसकी पुत्री वन्दनी का जन्म दिनांक 21-07-2019 को एम0सी0 ऊना में हुआ था। परन्तु यह जन्म पंजीकरण अनभिज्ञता के कारण एम0सी0 ऊना के रजिस्टर में दर्ज न हो सका।

अतः “इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्री मुनादी व चस्पानगी” के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक तारीख पेशी 24-05-2025 को सुबह 10.00 बजे से लेकर शाम 5.00 बजे तक इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर एम.सी. ऊना को उक्त पंजीकरण करने के आदेश जारी कर दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 24-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)।

**ब अदालत जनाब कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील एवं
जिला ऊना (हि0प्र0)**

मिसल नं0 :	किस्म मुकद्दमा :	तारीख पेशी:
10/Corr./T/U/2025	नाम दुरुस्ती	28-05-2025

श्री दर्शन कुमार पुत्र भगत राम, वासी वसाल, तहसील व जिला ऊना, हि0 प्र0 वादी।

बनाम

“इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश “मुश्री मुनादी” व चस्पांगी।

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री दर्शन कुमार पुत्र भगत राम, वासी वसाल, तहसील व जिला ऊना, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल/ उप-महाल वसाल में दर्शन लाल पुत्र भगत राम दर्ज है, जबकि मेरा सही नाम दर्शन कुमार पुत्र भगत राम है, लिहाजा इसे दुरुस्त करके नाम दर्शन लाल उर्फ दर्शन कुमार पुत्र भगत राम किया जाए। प्रार्थी का शपथ पत्र, आधार कार्ड, विद्यालय प्रमाण-पत्र, नकल जमाबन्दी तथा अन्य कागजात मिसल साथ संलग्न हैं।

अतः नोटिस “इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश व मुश्री मुनादी व चस्पांगी” के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक तारीख पेशी 28-05-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 26-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना,
तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)।

ब अदालत जनाब कार्यकारी दण्डाधिकारी ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)

केस नं0 :	किस्म मुकद्दमा:	तारीख दायर:	तारीख पेशी:
10/B & D/T/U/2025	जन्म पंजीकरण	26-04-2025	27-05-2025

1. श्री अंकुश सैणी पुत्र सुरेश सैणी व सुमन सैणी, वासी हाउस नं0 वी0 32, गली नं0 3, चावला कॉलोनी नीयर प्रीत नगर, वटाला रोड़, अमृतसर, पंजाब . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

“इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्री मुनादी व चस्पांगी”।

विषय.—प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण श्री अंकुश सैणी पुत्र सुरेश सैणी व सुमन सैणी, वासी हाउस नं0 वी0 32, गली नं0 3, चावला कॉलोनी नीयर प्रीत नगर, वटाला, रोड़ अमृतसर, पंजाब जाने आदेश रजिस्ट्रेशन जन्म पंजीकरण अंकुश सैणी तिथि 10-05-1989 पुत्र सुरेश सैणी व सुमन सैणी।

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी श्री अंकुश सैणी पुत्र सुरेश सैणी व सुमन सैणी, वासी हाउस नं0 वी0 32, गली नं0 3, चावला कॉलोनी नीयर प्रीत नगर, वटाला रोड़, अमृतसर, पंजाब जाने आदेश रजिस्ट्रेशन जन्म पंजीकरण अंकुश सैणी जन्म तिथि 10-05-1989 ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 10-05-1989 को ग्राम पंचायत कोटला कला लोयर में हुआ था। परन्तु यह जन्म पंजीकरण अनभिज्ञता के कारण ग्राम पंचायत के रजिस्टर में दर्ज न हो सका।

अतः "इशतहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्री मुनादी व चस्पानगी" के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक तारीख पेशी 27-05-2025 को सुबह 10.00 बजे से लेकर शाम 5.00 बजे तक इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर एम.सी. ऊना को उक्त पंजीकरण करने के आदेश जारी कर दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 26-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)।

ब अदालत जनाब कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)

केस नं0 :	किस्म मुकद्दमा:	तारीख दायर:	तारीख पेशी:
08/Marriage/T/U/2025	विवाह पंजीकरण	21-03-2025	24-05-2025

1. श्री बब्बर बीर बहादुर सिंह पुत्र चम्बेल सिंह, वासी जनकौर, तहसील व जिला ऊना, हि0प्र0 व श्रीमती मंजु हाल पत्नी बब्बर बीर बहादुर सिंह पुत्री जगदेव सिंह, वासी मौली, तहसील वरवाला, जिला पंचकुला, हरियाणा।

बनाम

आम जनता

"इशतहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्री मुनादी व चस्पानगी"।

प्रार्थना-पत्र शादी पंजीकरण श्री बब्बर बीर बहादुर सिंह पुत्र चम्बेल सिंह, वासी जनकौर, तहसील व जिला ऊना, हि0प्र0 व श्रीमती मंजु बाबत दिए जाने आदेश शादी पंजीकरण ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उनकी शादी हिन्दु रीति के अनुसार दिनांक 18-02-2001 को श्रीमती मंजु हाल पत्नी बब्बर बीर बहादुर सिंह पुत्री जगदेव सिंह, वासी मौली, तहसील वरवाला, जिला पंचकुला, हरियाणा से हुई है, परन्तु यह शादी सहवन गलती के कारण ग्राम पंचायत जनकौर के रजिस्टर में दर्ज न करवाई गई है, उन्होंने इस शादी को ग्राम पंचायत में दर्ज करने के लिए अनुरोध किया है। प्रार्थी ने अपनी शादी की पुष्टि में आधार कार्ड, शपथ पत्र, स्कूल प्रमाण-पत्र तथा अन्य दस्तावेज प्रार्थना-पत्र के साथ दायर करके आवेदन किया है।

अतः "इशतहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्री मुनादी व चस्पानगी" के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त विवाह पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक तारीख पेशी 24-05-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अतः उपरोक्त विवाह पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 23-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री राजन कुमार शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील दुलैहड़,
जिला ऊना (हि0प्र0)

मिसल नं० : 20/2025

तारीख दायर : 28-03-2025

तारीख पेशी : 17-04-2025

संजीव कुमार शर्मा पुत्र सगली राम, निवासी गोन्दपुर बूल्ला, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0।

मुस्त्री मुनादी नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख दर्ज करने बारे इश्तहार समाचार पत्र/राजपत्र।

संजीव कुमार शर्मा पुत्र सगली राम, निवासी गोन्दपुर बूल्ला, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि प्रार्थी का नाम संजीव कुमार शर्मा पुत्र सगली राम दर्ज है लेकिन उसका नाम राजस्व कागजात के महाल गोन्दपुर बूल्ला उपरला, में सदीप कुमार पुत्र सगली राम दर्ज है जोकि गलत दर्ज हुआ है। इसलिए प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख के महाल गोन्दपुर बूल्ला में दर्ज किया जावे।

प्रार्थना-पत्र में नाम दर्ज करने बारे आम जनता को इश्तहार राजपत्र/मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 04-06-2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष/एतराज पेश कर सकते हैं। समय पर हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 17-04-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0)।

In the Court of Executive Magistrate, Una, Tehsil Una, District Una, Himachal Pradesh

Sh. Binder Kumar s/o Bhagwat Ram, r/o VPO Kotla Khurd, Tehsil & District Una (H.P.)

. . Applicant.

Versus

General Public

Application u/s 38(a) Land Revenue Act, 1954 Sh. Binder Kumar s/o Bhagwat Ram, r/o VPO Kotla Khurd, Tehsil & District Una (H.P.) has submitted an application to the undersigned for the correction of his name in Aadhar Card. The applicant has requested that his son name "Ayush Sharma" entered in Aadhar Card No. 9677 7699 0501 be corrected to "Ayush Kumar". The applicant's affidavit, Aadhar card and all other requisite documents are annexed hereto with the application form.

Therefore, through this proclamation the General Public is hereby informed that any person having any objection for entry of correction in of applicant's son name mentioned above, may submit his objection in writing in this court within 30 (Thirty) days from the date of publication of

this notice in Official Gazette no objection while be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the court on this

Seal.

Sd/-
*Executive Magistrate,
Tehsil Una, District Una,
Himachal Pradesh.*

CORRECTION OF NAME

I, Indira Guleria w/o Sh. Rup Singh Guleria, Village Panjehati, P.O. Talyahar, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) declares on oath that in my Aadhar Card my name is Indra Guleria which is incorrect. My Correct name entered in the pension record is Indira Guleria. That should be entered in the Aadhar Card. Be noted.

INDIRA GULERIA
*w/o Sh. Rup Singh Guleria,
Village Panjehati, P.O. Talyahar,
Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Virender s/o Sh. Nain Singh, r/o Village Anhog, P.O. Malat, Tehsil Kupvi, District Shimla (H.P.) declare that I have changed my daughter's name from Saroj to Sarojna. All concerned please may note.

VIRENDER
*s/o Sh. Nain Singh,
r/o Village Anhog, P.O. Malat,
Tehsil Kupvi, District Shimla (H.P.).*

CORRECTION OF NAME

I, Santosh Kumar s/o Sh. Rania Ram, r/o Village Bagasan, P.O. Ruslah, Tehsil Nerwa, District Shimla (H.P.) declare that my daughter's name Vanshu Kumari is wrongly recorded in the Aadhar Card. Whereas my daughter's name Vanshika is correctly recorded in the Panchayat records and School. The Aadhar Card Vanshika should be corrected. Everyone should take note.

SANTOSH KUMAR
*s/o Sh. Rania Ram,
r/o Village Bagasan, P.O. Ruslah,
Tehsil Nerwa, District Shimla (H.P.).*

CORRECTION OF NAME

I, Harshit Dhiman s/o Sh. Sanjeev Dhiman, r/o Ward No. 3, P.O. Bandla Tea Estate, Sughar, M.C. Palampur, Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.), in my Scheduled Caste Certificate my father's name is mentioned as Sanjeev Kumar. Whereas correct name of my father is Sanjeev Dhiman and the Sanjeev Kumar and Sanjeev Dhiman are one and same person. In my Matriculation Certificate my name is written as Harshit and in my MBBS Degree, Internship Completion Certificate, DFA my name is written as Harshit Dhiman. The Harshit and Harshit Dhiman is one and same person.

HARSHIT DHIMAN
s/o Sh. Sanjeev Dhiman,
r/o Ward No. 3, P.O. Bandla Tea Estate, Sughar,
M.C. Palampur, Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Ajay Kumar s/o Sh. Shadi Ram, r/o Village Bani Bakholi, P.O. Dhangyar, Tehsil Pachhad, District Sirmaur (H.P.) declare that in my minor son's Aadhar Card No. 8123 9821 0765 his name is wrongly entered as Gorab but his correct name is Gaurav. Concerned note.

AJAY KUMAR
s/o Sh. Shadi Ram,
r/o Village Bani Bakholi, P.O. Dhangyar,
Tehsil Pachhad, District Sirmaur (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Sumitra Devi w/o Sh. Rajender Kumar, r/o V.P.O. Sainj, Tehsil Sangrah, District Sirmaur (H.P.) declare that in some records my daughter Veena Kumari name wrongly entered as Bina Kumari, which is required to be corrected.

SUMITRA DEVI
w/o Sh. Rajender Kumar,
r/o V.P.O. Sainj,
Tehsil Sangrah, District Sirmaur (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Kiran (26) w/o Sh. Pankaj Kumar, r/o Village Chhalkhi, P.O. Diyargi, Tehsil Balh, District Mandi (H.P.) declare that the actual & correct name of the deponent's son is Atharv instead of Adharv. All concerned please note.

KIRAN
w/o Sh. Pankaj Kumar,
r/o Village Chhalkhi, P.O. Diyargi,
Tehsil Balh, District Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Kala Devi aged about 47 years w/o Sh. Bhagat Ram, r/o Village Baghi, P.O. Devgarh, Tehsil Kotkhai, District Shimla-171 202 (H.P.) declare that I have changed my name from Reena Sharma (Old name) to Kala Devi (New Name) all concerned please may note.

KALA DEVI
w/o Sh. Bhagat Ram,
r/o Village Baghi, P.O. Devgarh,
Tehsil Kotkhai, District Shimla-171 202 (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Dinesh Kumar s/o Sh. Narayan Singh, r/o Village Shanech, P.O. Seri Bunglow, Tehsil Karsog, District Mandi (H.P.) Pin-175 011 declare that I have changed my minor son's name from Mch (Old Name) to Riyansh Thakur (New Name) all concerned please may note.

DINESH KUMAR
s/o Sh. Narayan Singh
r/o Village Shanech, P.O. Seri Bunglow,
Tehsil Karsog, District Mandi (H.P.)

CORRECTION OF NAME

I, Vinod Kumar s/o Sh. Kana Singh, r/o Village Barla, P.O. Bachhunch, Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.) declare that name of my son Karnik Sharma is wrongly mentioned as Baby two of Seema in his Aadhar Card. Therefore it should be changed to Karnik Sharma in his Aadhar Card.

VINOD KUMAR
s/o Sh. Kana Singh,
r/o Village Barla, P.O. Bachhunch,
Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.).

